भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं .4466

जिसका उत्तर 27.03.2025 को दिया जाना है

दुर्घटनाप्रवण क्षेत्र की पहचान के लिए जन-भागीदारी

4466. श्री दुलू महतो:

श्री राजकुमार चाहर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर 13,795 दुर्घटनाप्रवण क्षेत्रों की पहचान की गई है, शेष दुर्घटनाप्रवण क्षेत्रों के स्थायी सुधार को पूरा करने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास दुर्घटनाप्रवण क्षेत्रों की पहचान करने में जनता की भागीदारी के लिए कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खतरनाक सड़क खंडों के संबंध में शिकायतों अथवा सुझावों का समाधान किस प्रकार किया जा रहा है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को कम करने और सड़क सुरक्षा में सुधार करने के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राज्यवार, विशेषकर झारखंड में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर कुछ स्थानों को दुर्घटनाओं की निश्चित संख्या के आधार पर दुर्घटनाप्रवण क्षेत्र (ब्लैक स्पॉट) के रूप में चिन्हित किया गया है, जिनमें मृत्यु और गंभीर चोटें शामिल हैं। सरकार ने ऐसे ब्लैक स्पॉट्स पर तत्काल अल्पकालिक उपाय करने के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें सड़क पर चिह्न लगाना, संकेतक, क्रैश बैरियर, रोड स्टड, डिलिनेटर, अनधिकृत मध्यमार्गों को बंद करना, यातायात नियंत्रण के उपाय आदि शामिल है। स्थायी सुधार उपायों के रूप में ऐसे ब्लैक स्पॉट्स पर दीर्घकालिक उपाय जैसे सड़क ज्यामितीय सुधार, जंक्शन सुधार, कैरिजवे का स्थान-स्थान पर चौड़ीकरण, अंडरपास/ओवरपास का निर्माण आदि भी किए जाते हैं।

ब्लैक स्पॉट्स का सुधार एक सतत प्रक्रिया है और तत्काल आधार पर अस्थायी उपाय किए जाते हैं। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर चिन्हित किए गए कुल 13,795 ब्लैक स्पॉट्स में से 5,036 ब्लैक स्पॉट्स पर दीर्घकालिक सुधार पूरा हो चुका है।

(ख) सरकार द्वारा दुर्घटनाप्रवण क्षेत्र (ब्लैक स्पॉट) की पहचान संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त दुर्घटना रिपोर्टों के आधार पर की जाती है, जो मृत्यु और गंभीर चोटों से जुड़ी कुछ निश्चित संख्या में दुर्घटनाओं के होने के मानदंडों को पूरा करते हैं।

(ग) इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) परियोजना को सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों की रिपोर्टिंग, प्रबंधन और विश्लेषण के लिए एक केंद्रीय भंडार के रूप में संस्थापित किया गया है। सरकार ने ई-डीएआर प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना स्थलों को हटाने के लिए अग्रिम कार्रवाई करने हेतु फरवरी, 2024 में दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, जिससे वास्तविक समय में सड़क सुरक्षा उपायों को बढ़ाया जा सके।

(घ) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 07.08.2023 की अधिसूचना के अनुसार, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है, जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सड़क परिवहन के प्रभारी मंत्री और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा, समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

*****